MOST-URGENT

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांकः सामान्य/चिकित्सा/2020/30598 दिनांक 22 मार्च, 2020

:: आदेश ::

भीलवाड़ा जिले में नोवल कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने से कोरोना वायरस के संक्रमण से जिले के नागरिको के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा होने के कारण भीलवाड़ा शहर के सम्पूर्ण शहरी सीमा क्षेत्र में भारतीय दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाकर भीलवाडा शहरी क्षेत्र में निवासरत व्यक्यिो को आवास के बाहर आवागमन को पूर्णत प्रतिबंधित किया गया हैं। साथ ही सम्पूर्ण जिले में भारतीय दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 05 व्यक्तियो के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया हैं।

जिले एवं शहर में धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा के दृष्टिगत नागरिको के दैनिक उपयोग में काम आने वाली आवश्यक वस्तुएं तथा खाद्य पदार्थो की नियमित एवं सुचारू रूप से आपूर्ति कराएं जाने हेतु निम्नानुसार अधिकारियो की टीम का गठन किया जाता हैं –

क0सं0	नाम अधिकारी एवं कार्यालय	विवरण
1.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक वृत भीलवाड़ा	प्रभारी
2.	उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा	समन्वयक
3.	आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा	सदस्य
4.	उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, भीलवाड़ा	सदस्य
5.	महा प्रबन्धक, उपभोक्ता भण्डार, भीलवाड़ा	सदस्य
6.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा	सदस्य
7.	उप निदेशक, कृषि विभाग, भीलवाड़ा	सदस्य

उपरोक्तानुसार नियुक्त अधिकारी भीलवाड़ा शहर में दैनिक उपयोग में काम आने वाली आवश्यक वस्तुएं तथा खाद्य पदार्थो की नियमित एवं सुचारू रूप से आपूर्ति कराएं जाने क्रम में शहर के वार्ड पार्षदो एवं नगर परिषद कार्मिको के सहयोग से जोन एवं रूट चार्ट बनाकर, आवश्यक स्टॉफ की नियुक्ति अपने स्तर पर/अपने विभाग से करेगें। जिस जोन/क्षेत्र में सामग्री वितरण की जानी है, उसकी पूर्व सूचना का समुचित प्रचार–प्रसार कराते हुए, आवश्यक वस्तुओ/सामग्री का वितरण सु–व्यवस्थित रूप से अपने निर्देशन में सम्पादित करायेगें।

प्रतिदिन की रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में सायं 5.00 बजे तक अधो–हस्ताक्षरकर्त्ता को व्यक्तिशः प्रस्तुत की जावे। इस संबंध में दिनांक 23/03/2020 को प्रातः 10.30 बजे बैठक में आवश्यक रूप से उपसिथत होवे।

आदेश की तत्काल पालना सुनिश्चित की जावे।

21/3/2020

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. संभागीय आयुक्त, अजमेर

Scanned by CamScanner

4. महानिरीक्षक, पुलिस, अजमेर रेंज, अजमेर
5. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा
6. अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), भीलवाड़ा
7. अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भीलवाड़ा
8. उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक वृत भीलवाड़ा
9. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
10. उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा
11. आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा
13. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भीलवाड़ा
14. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, भीलवाड़ा
15. महा प्रबन्धक, उपभोक्ता भण्डार, भीलवाड़ा
16. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा
17. उप निदेशक, कृषि विभाग, भीलवाड़ा
18. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
19. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जिला भीलवाड़ा
20. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाड़ा
21. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, भीलवाड़ा
22. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner